

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०यू०/जन०सू०अ०/2023-24/

दिनांक: 24.11.2023

कार्यालय आदेश

जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत, तात्कालीक प्रभाव से राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के उपमहाप्रबन्धक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को जनसूचना अधिकारी एवं महाप्रबन्धक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) को प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यालय को प्राप्त वादों के निस्तारण हेतु नामित किया जाता है।

(डॉ० पंकी जोवल)  
मिशन निदेशक  
तददिनांक।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०यू०/जन०सू०अ०/2023-24/ 6714-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (एम०आई०एस०), राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश कि प्रति उ०प्र० एन०एच०एम० की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

*Pandey*  
23/11/23  
(डॉ० पंकी जोवल)  
मिशन निदेशक